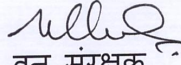


16.	प्रस्तावित क्षेत्र किसी भी संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नजदीक के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से दूरी 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर होना चाहिए।	प्रस्तावित क्षेत्र किसी भी संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। संरक्षित क्षेत्र की दूरी 10 कि०मी० से अधिक है।
17.	इस क्षेत्र में जनजातीय की निर्भरता। चाहे आदिवासी के अधिकार के लिए इस क्षेत्र में मान्यता दी गई है।	प्रस्तावित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत मान्यता नहीं दी गई है।
18.	परियोजना के पास के इलाके में रहने वाले लोगों सहित परियोजना की उपयोगिता।	परियोजना की स्वीकृति से उमरिया जिले के निवासियों को आवागमन की सुविधा की संभावना है।
19.	नवीकरण के मामले में पूर्व स्वीकृत के आदेश में निर्धारित की गई समस्त शर्तों का पालन किया गया है या नहीं।	प्रकरण नवीनीकरण का नहीं है।
20.	गैर-साइट विशिष्ट परियोजनाओं के मामले में उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा जांच विकल्प।	यह साइट स्पेसिफिक परियोजना है।
21.	वन भूमि गैर वानिकी उद्देश्य के न्यूनतम व्यपवर्तन के लिए अनुरोध किया है, उपयोगता एजेन्सी द्वारा इसका प्रमाणपत्र	उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा न्यूनतम वनभूमि की उपयोगिता बावत प्रमाण-पत्र दिया गया है।
22.	वन भूमि जिसका व्यपवर्तन किया जा रहा है जिस उद्देश्य के लिये सुनिश्चित करते हुये पेड वृद्धि को बचाने की कोई गुंजाइश।	परियोजना क्षेत्र चयन सह सुधार, सुधार, आर.डी.एफ., पी.डब्ल्यू.सी., पी.आई.डब्ल्यू.सी. कार्यवृत्त वनक्षेत्र है।
23.	महत्व के किसी भी अन्य मुद्दे ।	कुछ नहीं।
24.	परियोजना के अनुमोदन के लिए कारण के साथ डीएफओ की विशिष्ट सिफारिशें।	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-78 का उन्नयन होने से उमरिया जिले एवं शहडोल सम्भाग से लगे छ०ग० प्रान्त के निवासियों को आवागमन में सुविधा होगी। वनभूमि की मांग न्यूनतम है उक्त परियोजना राष्ट्रीय विकास हित में है। अतः 30.423 हे० वन तथा राजस्व वनभूमि के व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

स्थान - उमरिया

दिनांक - 12.5.2016


 वन संरक्षक
 एवं पदेन वनमंडलाधिकारी
 वनमण्डल उमरिया (म०प्र०)